

31-24

पत्रावली पेश। वकील वाडी या वाडी स्थित उपस्थित
नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित
नहीं हुए। अतः वाडी का यह वाड पत्र अडक
पैरवी-अडक हाजिरी में इसी स्तर पर आरिज
किया जाता है। पत्रावली वाड वस्तीज वकमील
दोकर साबिल इत्तक है।

निर्णय लिखाया जाकर सुले-थायालय के

सुवाया गया।


(आमल) विरगौर)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना